



मध्य प्रदेश राज्य  
के

वन कार्यालयों/वनमण्डलों की कार्यप्रणाली का  
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन  
वर्ष 2008-09

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

## प्राक्कथन

वन विभाग, म.प्र. शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है, एवं इसके आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसके राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दायित्व का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें इसके लिए शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। अतएव वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य प्रणाली एवं नियमों/प्रक्रियाओं के पालन में पाई गई कमियों पर इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है ।

वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर आधारित, वर्ष 2008-09 का यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया है। भाग-एक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों की जाँच के दौरान पाई गई कमियाँ/त्रुटियाँ/अनियमितताएं दर्शाई गई हैं एवं भाग-दो में वन कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान इनकी कार्य प्रणाली से संबंधित संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दर्शाया गया है।

वन विभाग की कार्य प्रणाली में नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करने में और मासिक वन लेखों की निर्धारित दिनांक तक इस कार्यालय में प्राप्ति सुनिश्चित कराने एवं अंक मिलान कार्य को नियमानुसार पूर्ण करते रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन उन्हें अनियमितताओं से बचने को प्रेरित करने में सहायक होगा।

स्थान :- ग्वालियर

दिनांक :- 28.04.2010

*महालेखाकार*

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम  
मध्य प्रदेश ग्वालियर

वन विभाग की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2008-09

—: प्रस्तावना :—

वन विभाग की संरचना अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग प्रमुख है, जिसके अधीन वर्ष 2008-09 में भोपाल में स्वंत्रत इकाई के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालय थे :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)
5. मुख्य वन संरक्षक म.प्र.वानिकी परियोजना
6. मूल्यांकन अधिकारी, सामाजिक वानिकी
7. वन संरक्षक, राजधानी परियोजना

उक्त कार्यालयों के अतिरिक्त 16 वनवृत्त (सामान्य) के कार्यालय थे, जिनके अधीन निम्नानुसार वन कार्यालय रहे -

1.	वनमण्डल (क्षेत्रीय)	59
2.	वनमण्डल (उत्पादन)	14
3.	वनमण्डल (सामाजिक वानिकी)	12
4.	वनमण्डल (कार्य आयोजना)	01
5.	वनवृत्त (कार्य आयोजना)	16
6.	वनवृत्त (अनुसंधान एवं विस्तार)	07
7.	वनवृत्त (वन्यप्राणी)	02
8.	राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण	12
9.	वन विद्यालय/महाविद्यालय	05
10.	मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना)	01

योग 129

इस प्रकार वर्ष 2008-09 में कुल (1+7+16+129) 153 वन कार्यालय कार्यरत रहे।

म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 378/आर 847/चार/ब-1/ 2006 दिनांक 07.04.06 द्वारा वन विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य शीर्षों से संबंधित आहरणों को दिनांक 1 जुलाई 2006 से कोषालय के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा माह जुलाई 2006 से उक्त शीर्षान्तर्गत

लेन-देन कोषालय के माध्यम से किया जा रहा है। मात्र दो आहरण संवितरण अधिकारियों सामान्य वन मंडल औबेदुल्लागंज एवं वन विद्यालय अमरकटक को पूर्व वित्त वर्षों की भांति ही इस वर्ष 2008-09 में भी म.प्र.शासन वित्त विभाग में आदेश पृ.क.310/आर.254/चार/ब-1/08 दिनांक 21.04.2008 द्वारा देयकों के भुगतान, सीधे बैंक के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गई।

11. वेतन
21. यात्रा भत्ता
22. कार्यालय व्यय
33. वाहनों का अनुरक्षण
35. विज्ञापन एवं प्रचार
41. छात्र वृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ
2071. पेंशन (पूर्वानुमानित एवं अनंतिम पेंशन और सेवा निवृत्ति भुगतान)
8009. सामान्य भविष्य निधि
8011. शासकीय कर्मचारी बीमा (परिवार कल्याण निधि)

इस प्रकार उक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेन देनों का लेखा कोषालय लेखे के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेनदेनों का लेखा पूर्ववत् महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### 1. भाग-एक (लेखा)

पूर्व वर्षों में एवं वर्ष 2008-09 में वन कार्यालयों/मण्डलों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक लेखों में पाई गई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं/त्रुटियों, मासिक लेखा विलम्ब से प्रेषित करने तथा विभागीय आकड़ों का पुनर्मिलान न करने/विलम्ब से करने विषयक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-2 पर लेख किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त वन वृत्त स्तर पर की गई कार्यशालाओं के माध्यम से वन लेखाओं में हो रही त्रुटियों को दूर/निराकृत करने हेतु वन कार्यालयों का ध्यान आकर्षित किया गया है। यद्यपि पूर्व की अपेक्षा लेखाओं में सुधार हुआ है। तथापि अभी भी कुछ त्रुटियां पूर्ववत् की जा रही हैं। जिनमें सुधार की आवश्यकता है एवं जिन्हें समय-समय पर पत्रों द्वारा सूचित किया जाता रहा है।

## 1.1 मासिक लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 219 के अनुसार मासिक लेखे अगले माह की 12 वीं तारीख तथा माह मार्च का लेखा 18 वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब की स्थिति में वन वित्तीय नियमावली के नियम 225 के अनुसार विलम्ब के कारणों से महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कारणों सहित बिलम्ब से लेखा भेजने की सूचना अप्राप्त रही तथा महालेखाकार कार्यालय में निर्धारित तिथि तक लेखा उपलब्ध कराने में उदासीनता बरती गई। जबकि इस कार्यालय द्वारा, मासिक वन लेखों में प्राप्ति के विवरण से प्रतिमाह सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराया गया।

वर्ष 2008–09 के कुल 1846 मासिक लेखों में से 621 लेखे निर्धारित दिनांक उपरांत प्राप्त हुए जिसमें से 37 लेखे निम्नानुसार 6 से 20 दिन देरी से प्राप्त हुए।

विलम्ब अवधि	प्राप्त लेखों की संख्या
3 से 5 दिन	206
6 से 10 दिन	34
11 से 20 दिन	3
कुल योग	243

समीक्षा के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि कुछ वन कार्यालयों से कई माह के लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए। वन कार्यालय जिनसे तीन या तीन से अधिक माहों के मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए, के नाम “परिशिष्ट “क” में दिए गए हैं।

**1.2 मासिक वन लेखों के अत्यधिक विलम्ब से प्राप्ति के कारण, संबंधित माह के लेखे से असम्मिलित किया जाना।**

वर्ष 2008-09 में, माह जून 2008 के निम्नानुसार मासिक वन लेखे अनुवर्ती माह में दिनांक 21.07.2008 तक अप्राप्त रहने के कारण, सम्बद्ध माह (06/2008) में शामिल नहीं किये जा सके।

स.क्र.	विवरण	देय दिनांक	वास्तविक प्राप्ति दिनांक
1.	व.मं.अ. (सा.) अशोकनगर	12.07.08	07.08.08
2.	व.मं.अ.(सा.) सतना	12.07.08	11.08.08
3.	व.मं.अ.(सा.) रीवा	12.07.08	06.08.08
4.	व.मं.अ.(सा.) जबलपुर	12.07.08	23.07.08

उक्त लेखों को असम्मिलित किये जाने एवं माह 07/2008 के लेखे में सम्मिलित किये जाने की जानकारी से सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराया गया।

**1.3 विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार के आंकड़ों से मिलान।**

वन वित्तीय नियमावली के नियम 235 (ब) के अनुसरण में समस्त वन वृत्तों में होने वाले वन विभाग के राजस्व एवं व्यय लेखाशीर्ष का महालेखाकार के कार्यालय में अंकित आंकड़ों का समाधान का उत्तरदायित्व वन संरक्षक का होगा। इस हेतु वे स्वयं विभागीय लेखों में दिये आंकड़े तथा महालेखाकार के कार्यालय के आंकड़ों का समाधान कराने हेतु कार्यवाही करेंगे। यह समाधान प्रतिमाह होना चाहिये।

वर्ष 2008-09 में इस विषयक उक्त नियम के प्रकाश में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई हैं :-

1. विभिन्न वनवृत्त एवं उनके अधीनस्थ वन कार्यालयों ने प्रत्येक माह पुनर्मिलान न करते हुए अनेक माहों के आंकड़ों का पुनर्मिलान एक साथ किया। तीन या अधिक माह के आंकड़ों का पुनर्मिलान एक साथ करने वाले वन कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट "ख" में दर्शाया गया है।

विवरण से स्पष्ट है कि, 151 वन कार्यालयों द्वारा वन वित्तीय नियमावली के उक्त नियम का उल्लंघन करते हुये प्रत्येक माह पुनर्मिलान कार्य नहीं किया गया।

2. वर्ष के दौरान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) को समय-समय पर लंबित अंक मिलान कार्य की स्थिति से अवगत कराते हुये समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अंक मिलान कार्य नियमानुसार पूर्ण करने हेतु निर्देशित किये जाने के संबंध में लेख किया गया। इसके अतिरिक्त वन संरक्षक स्तर पर भी वृत्त के सभी (डी.डी.ओ.) को उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भी सूचित किया गया है। इसी क्रम में कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र./व.सं.1/अंक मिलान/2008-09/13 दिनांक 20.04.2009 के माध्यम से उनके अधीनस्थ वन कार्यालयों के लंबित अंक मिलान कार्य को दिनांक 29.05.2009 तक पूर्ण कराने हेतु सूचित किये जाने के उपरान्त भी वर्ष 2008-09 में 27 कार्यालयों द्वारा पुनर्मिलान कार्य पूर्ण नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है।

#### **1.4 वन विभाग द्वारा विक्रयकर की प्राप्ति को वन राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना।**

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 एवं 2007-08 की कंडिका 1.4 में सरकारी लेखाकरण नियम, 1990 के नियम 29 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए विभाग द्वारा इमारती लकड़ी, बाँस, खैर तथा छोटे वनोपजो की बिक्री से प्राप्त विक्रय कर की राशि को वनराजस्व लेखा मुख्य शीर्ष-0406 के नीचे विभिन्न लघुशीर्षों के विस्तृत शीर्ष " विक्रय कर से प्राप्ति" के अंतर्गत लेखाबद्ध कर विभाग की आय माना जाना तथा प्राप्त विक्रय कर का वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान करते समय वन विभाग के राजस्व व्यय लेखा मुख्य शीर्ष-2406 के नीचे विभिन्न लघुशीर्षों के विस्तृत शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध कर विभाग का व्यय माना जाना जैसी वित्तीय अनियमितता की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया था ।

वर्ष 2008-09 के राजस्व/व्यय के बजट अनुमान पुस्तिका क्रमशः खण्ड-2 एवं मांग संख्या 10 तथा वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखों का अवलोकन करने पर उक्त अनियमितता यथावत् पायी गयी । वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान एवं वन कार्यालयों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों के आधार पर इस कार्यालय द्वारा उक्त प्राप्ति/व्यय शीर्षान्तर्गत संकलित राशियां निम्नानुसार है:-

बजट शीर्ष	बजट अनुमान (रूपये हजार में)	इस कार्यालय के आंकड़े (रूपये हजार में)
0406-वन राजस्व (विक्रयकर)	47,31,22	54,76,43
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन (विक्रयकर)	53,20,00	57,01,77

यह आपत्ति वर्ष 2002-03 से निरंतर प्रतिवेदित की जा रही है फिर भी प्रक्रिया में सुधार अपेक्षित है। कंडिका वित्त विभाग, म.प्र.शासन के ध्यान में लायी जाती है।

**1.5 मुख्यशीर्ष 8782-103-02 वन प्रेषण के "समाधान पत्रक" मासिक लेखों के साथ प्राप्त न होना।**

1. महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने वाले मासिक लेखे के साथ समाधान पत्रक भेजे जाने चाहिये। इस समाधान पत्रक में पिछले माह के अंत तक न भुनाये गये चैकों की राशि को प्रारंभिक शेष मानकर, चालू माह में जारी किये गये चैकों की राशि जोड़ना चाहिये इसके उपरांत चालू माह में भुनाये गये चैकों की राशि (कोषालय अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर) को घटाने के उपरांत जितनी राशि के चैक भुगतान हेतु शेष रहे हैं उनका विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिये। समाधान पत्रक का प्रारूप तैयार कर इस कार्यालय द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) तथा वन मंडलों को भी भेजा गया है, परन्तु अभी भी वन मंडलों के मासिक लेखे के साथ समाधान पत्रक वांछित प्रारूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

2. नियमानुसार कोषालय वन प्रेषण शीर्ष के चालान मंडल कर्मचारियों द्वारा भरे जाने चाहिए या उसमें दिये वर्गीकरण की जांच कर जमाकर्ता/पार्टियों को

दिये जाने चाहिये जिसे कोषालय/बैंक में राशि प्रेषित करने के लिये पार्टी अपनी निजी व्यवस्था करते हैं। विधिवत् रसीदी चालान पार्टी द्वारा लाये जाने पर वन मंडल अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने पर रसीदी चालान वास्तविक है रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में राजस्व की प्रविष्ट करता है। यदि पार्टियाँ मंडल को मांग ड्राफ्ट भेजें तो वे पहिले भुनाये जाने चाहिये तब रोकड़ बही में प्रविष्टि की जानी चाहिये। इस प्रक्रिया के पालन से शासकीय राशि के गबन तथा लेखे के गलत वर्गीकरण से बचाव होता है।

उक्त प्रक्रिया के पालन के उपरांत महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखे के साथ कोषालय में वन प्रेषण का समाधान पत्रक जिसमें :-

- (i) पिछले माह के अंत में खजाना अधिकारियों की बहियों में समायोजन के बिना पड़े वन राजस्व की कुल राशि को प्रारंभिक शेष मानते हुये (ii) मंडल के मासिक लेखे में यथा सम्मिलित चालू महीने के राजस्व की राशि जोड़ना चाहिये इसके उपरांत (i) व (ii) के जोड़ में से खजाना अधिकारियों द्वारा विधिवत् समायोजित राजस्व की कुल राशि (समेकित खजाना रसीद के अनुसार) को घटाने के उपरांत जो खजाना अधिकारियों के बहियों में समायोजित राशि शेष रहती है उसका विवरण जैसे :- पार्टी का नाम, राशि, खजाने का नाम, राजस्व मद संख्या एवं रजिस्टर का महीना महालेखाकार को भेजा जाना चाहिये, जो कि प्राप्त नहीं हो रहा है, प्रत्येक माह मासिक लेखे के साथ भेजा जाना चाहिये।

समाधान पत्रकों के मासिक लेखे के साथ प्राप्त न होने से, असमायोजित राजस्व एवं भुगतान हेतु शेष चैकों पर निगरानी रखना संभव नहीं हो पा रहा है। जिन वन कार्यालयों से समाधान पत्रक प्राप्त हो रहे हैं का विवरण परिशिष्ट "घ" में दर्शाया गया है।

अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- 1.6 कोषालय में वन प्रेषण (मु.शी. 8782-103-01) के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में कोषालय से प्राप्त चालानों पर अंकित चालान क्रमांक का वन मंडल द्वारा प्रेषित फार्म 15 के चालानों के क्रमांक से मेल न होना।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 59 एवं 67 में वन कार्यालयों द्वारा कोषालय में प्रत्येक माह मु.शी. 8782-103 वन प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत प्रेषित राशियों का मिलान कोषालय से प्राप्त समेकित कोषालय रसीद (सी.टी.आर.) से कर इसका समाधान पत्रक एवं सी.टी.आर. मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने को प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कोषालयों एवं महालेखाकार कार्यालय, दोनों ही स्तर पर लेखांकन का कार्य कम्प्यूटरीकृत होने के कारण यह नितांत आवश्यक हो गया है कि, वन मंडल अधिकारी द्वारा प्रेषित लेखे में सूचित प्रेषण सूची पर अंकित चालान क्रमांक एवं ट्रेजरी द्वारा प्रेषित सूची एवं संलग्न चालानों पर अंकित चालान क्रमांक इस प्रकार हो कि उन चालान क्रमांकों के क्रमांक में दोहराव (रिपिटेशन) न हो, जिससे कि कम्प्यूटर प्रणाली में वन मंडलों एवं कोषालयों के चालान क्रमांकों का आपस में मिलान हो सके। साथ ही चालानों पर वन मंडल का नाम अथवा कोड क्रमांक अंकित किया जाना चाहिये।

विगत वर्ष की वार्षिक समीक्षा में भी शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था तथा बार-बार लिखे जाने के बावजूद भी वन मण्डलों द्वारा उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप वन प्रेषण शीर्ष में लंबित राशि का समायोजन नहीं हो पा रहा है, अतः इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

#### **1.7 विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज का लेखे में समायोजन न किया जाना।**

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 की कंडिका क्रमशः 1.6 एवं 1.7 के माध्यम से विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत समूह "घ" कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज की गणना कर देय ब्याज की राशि उक्त कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट करने तथा मुख्य लेखा शीर्ष 2049-ब्याज संदाय, 03-अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि पर ब्याज, 104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज, 4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज को डेबिट करने हेतु प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं

हकदारी)–द्वितीय, म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित करने का लेख किया गया था । ताकि विभागीय भविष्य निधि में जमा राशियों पर देय ब्याज का समायोजन संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखे में किया जा सके ।

वर्ष 2008–09 के लिये कुल 153 वन कार्यालयों में से मात्र 46 कार्यालयों से 1,90,50,822 रूपये के अंतरण प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें 17 कार्यालयों की जानकारी “निरंक” है, जिनका समायोजन अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से वर्ष 2008–09 के लेखे में किया गया। इस प्रकार परिशिष्ट “ड” में वर्णित 46 कार्यालयों को छोड़कर विभागीय भविष्य निधि से संबंधित कोई ब्याज पत्रक प्राप्त नहीं हुआ जो घोर अनियमितता का परिचायक हैं। इस संबंध में सचिव, वन विभाग, म.प्र.शासन, वल्लभ भवन, भोपाल को पत्र क्र. निधि-1/डी.पी.एफ. ब्याज/22 दिनांक 09.04.2008 जारी किया गया।

अपेक्षा की जाती है इस समायोजन हेतु प्रतिवर्ष प्रस्ताव आवश्यक रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, म.प्र.ग्वालियर को प्रेषित किये जायेंगे।

#### **1.8 वन विकास उपकर राशि का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना।**

वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की समीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से, विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा लेखा शीर्ष 0406–वानिकी और वन्य जीवन 800–अन्य प्राप्तियां (0236)–वन विकास उपकर से प्राप्तियां के अंतर्गत लेखाबद्ध योग्य राजस्व को अन्य शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध करने की त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। यह भी लेख किया गया था कि, उक्त त्रुटि के कारण उक्त शीर्ष के अंतर्गत कम राशि लेखाबद्ध होने का प्रतिकूल प्रभाव वनों के विकास हेतु स्थापित वन विकास निधि पर होता है एवं वनों के विकास के लिए व्यय हेतु कम राशि उपलब्ध हो पाती है।

वर्ष 2007–08 में प्राप्त वन विकास उपकर से प्राप्त राशि रूपये 15,85,00,000/–के विरुद्ध वर्ष 2008–09 में राशि रूपये 9,03,00,000 (रूपये नौ करोड़ तीन लाख) का वन विकास निधि में अंतरण हेतु मांग संख्या 10–वन में बजट प्रावधान किया गया था लेकिन शासन से उक्त अंतरण के प्रस्ताव की

स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप वन विकास उपकर की राशि का वन विकास निधि में अंतरण नहीं हो सका।

अतः वर्ष 2008-09 में प्राप्त वन विकास उपकर की राशि के वन विकास निधि में अंतरण हेतु किये गये बजट प्रावधान अनुसार वर्ष 2009-10 में अंतरण प्रस्ताव स्वीकृतियाँ समय सीमा में भेजे जाने की आवश्यकता है।

### 1.9 वन कार्यालयों द्वारा "कोषालय में प्रेषण" से संबंधित चालानों पर त्रुटिपूर्ण लेखा शीर्ष अंकित करना।

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के प्रतिवेदन की कंडिका 1.8 एवं 1.9 में वन वित्तीय नियमावली के नियम 62 एवं म.प्र. कोष संहिता भाग-एक के नियम 501 की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए इनके अनुसरण में समस्त वन कार्यालयों से कोषालय में चालान द्वारा प्रेषित योग्य राशि लेखा शीर्ष 8782-103-वन प्रेषण, 01-कोषालय में प्रेषण के अंतर्गत प्रेषित कराने का लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में विभिन्न वनवृत्त कार्यालयों में लेखा संबंधी सम्पन्न कार्यशालाओं में भी उक्त प्रक्रिया विषयक अवगत कराया गया था कि :-

- (1) शासन की आय दो लेखाओं अर्थात् वन लेखा एवं कोषालय लेखा के माध्यम से लेखाबद्ध न होकर मात्र एक (वन लेखा/कोषालय लेखा) के माध्यम से लेखाबद्ध हो तथा शासन की आय एक बार काल्पनिक रूप से न बढ़े।

वर्ष 2008-09 में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (रोकड़) भोपाल द्वारा माह अक्टूबर 2008 के रोकड़ लेखे में कुल राशि रूपये 1,10,00,00,000/- (रूपये एक अरब दस करोड़) मु.शी.8782-103-01 कोषालय में प्रेषण (भुगतान पक्ष) के अंतर्गत लेखा बद्ध कर, प्राप्ति पक्ष में मु.शीर्ष 406 के विभिन्न लघुशीर्षान्तर्गत प्राप्ति का समावेश किया गया था

जबकि वास्तव में उक्त राशि चालानों के माध्यम से माह सितम्बर 2008 में मुख्यशीर्ष "0406—वानिकी और वन जीवन के अन्तर्गत लघुशीर्ष (800) अन्य प्राप्तियां (म.प्र.वन विकास निगम से प्राप्त लीज टेन्ट एवं वन विकास उपकर से प्राप्तियाँ) में क्रमशः राशि रूपये 30 करोड़, 35.65 करोड़ एवं (201) तेन्दू पत्ते का राजकीय व्यापार में राशि रूपये 44.35 करोड़ कोषालय लेखे में शामिल हो चुकी थी। जिसके परिणामस्वरूप मुख्यशीर्ष "0406 वानिकी एवं वन्य जीवन" में राशि रूपये 1.10 अरब का त्रुटिपूर्ण दोहरा लेखांकन हो गया था, जिसे जांच उपरांत अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से माह फरवरी 2009 के वन लेखे में सुधार किया गया। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(2) निष्कर्ष रूप में यदि वन कार्यालयों द्वारा प्राप्त आय को लेखा शीर्ष "8782—103—वन प्रेषण, 01 कोषालय में प्रेषण" के अंतर्गत चालान द्वारा कोषालय में जमा राशियों को ही विभागीय वन लेखे में शामिल किया जायेगा। यदि इसके अतिरिक्त इसी प्रकार चालान द्वारा कोषालय में लेखा शीर्ष 0406 वन राजस्व, 7610— शासकीय सेवकों को ऋण, 8009—सामान्य भविष्य निधि तथा 8550—101—वन अग्रिम, 8443—106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत जमा की गई है तो उसे वन लेखा (विभागीय) में शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह कोषालय लेखे के माध्यम से शासकीय लेखे में लेखाबद्ध हो जाती है। विभागीय लेखे में वन राजस्व के अन्तर्गत कोषालय में चालान द्वारा मुख्यशीर्ष 8782—103—01 के अन्तर्गत जमा की गयी राशि ही दिखायी जानी चाहिये।

**1.10 मासिक लेखा के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) प्रगामी आय/व्यय पत्रक (फार्म-7अ/7ब) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन देनों से संबंधित लेखाशीर्षों का पूर्ण विवरण अंकित न करना ।**

नियमानुसार विभिन्न लेन-देनों के प्रत्येक अभिलेख पर लेन देन से संबंधित लेखाशीर्ष निम्नानुसार क्रम में अंकित किए जाने चाहिए ।

(1) राजस्व/प्राप्ति/आय  
मुख्य शीर्ष,  
उप मुख्य शीर्ष  
लघु शीर्ष  
उप शीर्ष  
विस्तृत शीर्ष ।

(2) व्यय/भुगतान  
मांग संख्या-आयोजनेत्तर/आयोजना, भारित/मतदेय  
मुख्य शीर्ष  
उप मुख्य शीर्ष  
समूह शीर्ष  
लघु शीर्ष  
उप शीर्ष  
विस्तृत शीर्ष  
उप विस्तृत शीर्ष

विभिन्न वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखा के संलग्न उक्त अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया है कि, इन पर उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखा शीर्ष अंकित नहीं किए गए हैं । परिणामतः महालेखाकार कार्यालय में लेन-देन के वर्गीकरण संबंधी त्रुटि हुई है ।

**1.11 प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि/समूह बीमा योजना/मोटर वाहन अग्रिम/गृह निर्माण अग्रिम इत्यादि के कटौतों राशियों का रोकड़ लेखे में शामिल किया जाना ।**

(1) वर्ष के दौरान दिनांक 01.07.06 के उपरान्त प्राप्त मासिक लेखाओं का अवलोकन करने पर विभाग से अन्य संस्थाओं यथा लघु वनोपज संघ, वन विकास निगम/अन्य विभाग इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लेखा शीर्ष सा.भ.नि./समूह.बी.यो./मो.वा.अ.

/गृ.नि.अ. इत्यादि के कटौत्रों की राशि कई वन मंडलों/कार्यालयों द्वारा रोकड़ लेखे में दर्शायी गई है। जबकि माह 07/06 से उक्त शीर्षान्तर्गत लेनदेन कोषालय लेखे के माध्यम से किया जा रहा है।

अतः प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ/गये कर्मचारियों/ अधिकारियों के कटौत्रों, संबंधित मद के शीर्षान्तर्गत राशि बैंक ड्राफ्ट/चैक से अपने विभाग के माध्यम से कोषालय में अथवा सीधे चालान से कोषालय में जमा करायी जानी चाहिये न कि मु. शीर्ष 8782-103-01 में राशि चालान में जमा कर रोकड़ लेखे के प्राप्ति पक्ष में संबंधित मद के अन्तर्गत वन मासिक लेखे में शामिल किया जाना चाहिये।

(2) कटौत्रा राशि के चालान प्राप्त होने की स्थिति में :-

कटौत्रा राशियों के कोषालय में जमाशुदा चालानों जिस पर विभिन्न लेखा शीर्ष यथा 8009-सामान्य भविष्य निधि/7610-मोटर वाहन अग्रिम/गृह निर्माण अग्रिम, 8011-समूह बीमा योजना इत्यादि अंकित हैं, के प्राप्त होने पर उक्त चालानों की राशियों का लेखांकन कार्यालय के मासिक लेखा में (रोकड़ बही/रोकड़ लेखा) नहीं किया जाना चाहिये। क्योंकि उक्त कटौत्रा राशियां कोषालय लेखे के माध्यम से शासकीय लेखों में सम्मिलित हो जाती है। प्राप्त चालानों को मात्र अभिलेख में रखा जाना चाहिये।

#### **1.12 वर्ष 2008-09 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत प्राप्ति हेतु अनुमान एवं प्राप्ति का लेखांकन।**

म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-3/33/98/10-2 दिनांक 29.12.99 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण से संबंधित प्राप्त राशि को, संबंधित वन मंडलअधिकारी द्वारा संबंधित कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता खोलकर इसमें जमा कराया जाना चाहिये। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ड-एक" के रूप में संलग्न है।

वर्ष 2007-08 की भांति ही वर्ष 2008-09 की बजट अनुमान पुस्तिका खंड-2 पृष्ठ 16 में "मुख्य शीर्ष 0406-वानिकी और वन्य जीवन (800) अन्य प्राप्तियाँ - (0237) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये अन्य विभागों से प्राप्तियाँ" हेतु राशि रूपये 1,70,00,000/- (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख) का बजट अनुमान किया गया तथा विभिन्न कार्यालयों से इस कार्यालय में प्राप्त मासिक लेखों में आधार पर इस कार्यालय की लेखा पुस्तिकाओं में राशि रूपये 15,67,240/- की प्राप्ति दर्ज की गई ।

विभाग के उक्त आदेशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण विषयक राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत किया गया बजट अनुमान एवं विभिन्न वन मंडलों द्वारा उक्त राजस्व शीर्षान्तर्गत राशियाँ दर्ज की जाना विभागीय आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

वर्ष 2008-09 में वैकल्पिक वृक्षारोपण के अन्तर्गत वन मंडलवार दर्ज राशियों का विवरण परिशिष्ट "छ" पर प्रदर्शित हैं ।

#### **1.13 वन मासिक लेखे में सहायक अनुदान के प्रमाणकों के साथ सशर्त अनुदानों के मामले में स्वीकृतियों का न भेजना ।**

वन कार्यालयों से प्राप्त होने वाले मासिक वन लेखों में सहायक अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध राशियों के प्रमाणकों के साथ स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हो रही हैं । स्वीकृतियां प्राप्त न होने एवं आहरण अधिकारी द्वारा आहरित सहायक अनुदान पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अंकित न किए जाने से सहायक अनुदान के उपयोगिता का सत्यापन नहीं हो पा रहा है । इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है जिससे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सहायक अनुदान की उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके ।

#### **1.14 मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य त्रुटियां/अनियमितताएं ।**

- (1) वन वित्तीय नियमावली 226 एव लेखा संहिता भाग-तीन के अनुसार अनुसूचियां निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर न भेजना ।
- (2) बिना बजट प्रावधान राशियां दर्ज करना ।

- (3) कोषालय में प्रेषण का समाधान पत्रक एवं "समेकित कोषालय रसीद" मासिक लेखे के साथ उपलब्ध न कराना अथवा अत्यंत विलम्ब से उपलब्ध कराना ।
- (4) रोकड़ लेखा के प्राप्ति तथा भुगतान पक्ष की राशि असमान होना ।
- (5) आय/व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) का योग रोकड़ लेखा में दर्ज आय/व्यय की राशि से न मिलना ।
- (6) आय/व्यय के प्रगामी अंको के पत्रक (फार्म-7अ/ब) का योग वर्गीकृत सार (फार्म-14) के योग से न मिलना ।
- (7) अनुसूचियों में उल्लेखित राशियों के योग में त्रुटि होना ।
- (9) रोकड़ लेखा में लेखा शीर्ष के कोड क्रमांक व नामावली त्रुटिपूर्ण अंकित करना ।
- (10) आयकर विभाग को आयकर विभाग से संबंधित चालान द्वारा भुगतान को रोकड़ लेखा के भुगतान पक्ष में दर्शाना ।
- (11) रोकड़ लेखा के भुगतान पक्ष में "अमान्य राशि का भुगतान" का लेखा शीर्ष न दर्शाना ।
- (12) सहायक अनुदान के प्रमाणकों के साथ सशर्त अनुदानों के मामले में स्वीकृतियों का न भेजना ।

शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियां/अनियमितताएं लाते हुए भविष्य में उक्त त्रुटि/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है ।

----- XXXXXX -----

## भाग—दो (लेखा परीक्षा)

### 2.1 व्यय का स्थानीय लेखा परीक्षण :-

#### 2.1.1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्राप्त न होना :-

वर्ष 2008-09 में 98 वनमण्डलों के व्यय की लेखा परीक्षा महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा की गयी। उक्त 98 वनमण्डलों में से 15 वन मण्डलों के प्रथम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। विवरण परिशिष्ट "ज" पर प्रदर्शित है। जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्रतिवेदन के जारी होने के 5 सप्ताह में प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में किये गये लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति में भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2008-09 के अंत तक 559 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1180 कंडिकाएं लंबित है। विवरण परिशिष्ट "झ" पर प्रदर्शित है।

#### 2.1.2 वर्ष 2008-09 के अंत तक वनमण्डलों द्वारा की गयी गंभीर प्रकार की अनियमितताओं के कारण आपत्ति पुस्तकों में लंबित राशि :-

वर्ष 2008-09 में विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा किये गये आपत्तिजनक व्यय के कारण 31 प्रकरणों की राशि रु. 6,54,666=00 तथा वर्ष 2007-08 में 26 प्रकरणों की राशि रूपये 25,78,241=00 निराकरण हेतु लंबित थी।

#### 2.1.3 हानि प्रकरणों पर संबंधित वनमण्डलों द्वारा उचित प्रभावी कार्यवाही न किया जाना।

मध्य प्रदेश सामान्य वित्तीय संहिता खण्ड-। के नियम 22 एवं 24 के अनुसार हानि के प्रकरण ध्यान में आते ही उनके संबंध में की गयी कार्यवाही से महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। परंतु वर्ष 1975-76 से 2008-09 के अंत तक राशि रूपये 11,61,45,660/- के 2170 हानि प्रकरण लंबित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ज" पर प्रदर्शित है।

### 2.2 राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा।

**2.2.1** महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा वर्ष 2008-09 में 98 वनमण्डलों की राजस्व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण किया गया, एवं पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभाग को अवगत कराया गया।

इसी वर्ष 2008-09 के अंत तक लेखा परीक्षा से संबंधित 439 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अंतर्गत 849 कण्डिकाओं की राशि रूपये 67,062.61 लाख का निराकरण लंबित है। जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ट" में दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा आडिट आपत्तियों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

**2.2.2 उचित प्रबंधन एवं लेखा परीक्षण की आपत्तियों पर उचित ध्यान न देने से शासन को हानि।**

वर्ष 2008-09 में विभिन्न वनमण्डलों के राजस्व लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि, वनमण्डलों द्वारा उचित प्रबंधन एवं सावधानी न रखने के फलस्वरूप जैसे – वनोपज निपटान हेतु समुचित प्रबंध न किया जाना, वनोपज की कमी पर ध्यान न देना, लकड़ी के अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन के अंतर पर ध्यान न देना एवं विक्रय कर की प्राप्तियों को अनावश्यक रोकना इत्यादि, कारणों से शासन को करोड़ों की हानि हुई है। राजस्व निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से इस हानि को कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाया गया है।

अतः शासन से अपेक्षा है कि लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा दल द्वारा ध्यान में लाई गयी आपत्तियों एवं हानि प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभागों को तुरंत कार्यवाही करने एवं जानकारी प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर कार्यालय को तुरंत भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

अतः शासन से अपेक्षा है कि लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा दल द्वारा ध्यान में लाई गयी आपत्तियों एवं हानि प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभागों को तुरंत कार्यवाही करने एवं जानकारी प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर कार्यालय को तुरंत भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम  
म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट 'क'

(कृपया कण्डिका 1.1 देखें)

तीन या तीन से अधिक माह के विलम्ब से प्राप्त हुए मासिक लेखों का विवरण पत्रक

क्र.	वन मण्डल / वनवृत का नाम	माह	माहों की संख्या
	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सागर	05/08, 08/08, 09/08, 11/08, 02/09	5
1.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	06/08, 08/08, 09/08, 01/09	4
2.	संचालक वन विहार (राष्ट्रीय उद्यान) भोपाल	04/08 05/08, 08/08	3
3.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) औबेदुल्लागंज	09/08, 11/08, 02/09, 03/09	4
4.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) भोपाल	05/08, 08/08, 09/08, 11/08 to 1/09	6
5.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	08/08, 11/08, 01/09	3
6.	वन मण्डलाधिकारी रीवा	06/08, 07/08, 9/08, 10/08, 01/09 to 3/09	7
7.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सीधी	04/08, 05/08, 06/08, 09/08	4
8.	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सीधी	05/08, 07/08, 08/08, 11/08, 01/09	5
9.	वन संरक्षक रीवा	04/08 to 07/08, 10/08 to 01/09	8
10.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रीवा	06/08, 08/08, 09/08, 02/09	4
11.	वन मण्डलाधिकारी बुरहानपुर	05/08, 06/08, 08/08	3
12.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) खण्डवा	09/08, 10/08, 01/09 to 03/09	5
13.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) झाबुआ	05/08, 06/08, 11/08, 01/09	4
14.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) छतरपुर	05/08, 08/08, 11/08	3
15.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रतलाम	05/08, 08/08, 02/09	3
16.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार)	05/08, 09/08, 12/08	3

	रतलाम		
17.	वन संरक्षक शहडोल	04/08, 08/08, 09/08	3

18.	संचालक वन विद्यालय, अमरकंटक	11/08, 01/09 to 03/09	4
19.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) होशंगाबाद	08/08, 11/08, 02/09	3
20.	वन संरक्षक कार्य आयोजना होशंगाबाद	05/08, 08/08, 11/08, 12/08	4
21.	उप संचालक सतपुड़ा टाईगर पंचमढी	05/08, 06/08, 08/08, 09/08, 11/08, 02/09, 03/09	7
22.	वन संरक्षक सिवनी वृत्त	07/08, 08/08, 01/09, 02/09	4
23.	वन मण्डलाधिकारी नरसिंहपुर	08/08, 09/08, 12/08, 02/09, 03/09	5
24.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) उत्पादन बालाघाट	05/08, 06/08, 08/08	3
25.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) डूहमढ)हमढप=हम बालाघाट	05/08, 06/08, 10/08	3
26.	वन संरक्षक कार्य आयोजना बालाघाटए )हमढु०=हमढीहम=हम हमढीहम हमढु}	07/08, 08/08, 11/08, 01/09, 02/09	5
27.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) जबलपुर	01/09 to 03/09	3
28.	वन संरक्षक (हमपढमढुडुहमहमढपढम / विस्तार) जबलपुर	12/08, 01/08 to 03/09	4
29.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	09/08 to 03/09	7
30.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व वफर जोन मण्डला	09/08 to 03/09	7

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट 'ख'

(कृपया कण्डिका 1.3.1 देखें)

तीन या तीन से अधिक माहों का एक साथ अंक मिलान करने वाले वन कार्यालयों का विवरण पत्रक

क्र.	वन मण्डल / वनवृत्त का नाम	माह	माहों की संख्या	अंक मिलान कार्य करने की तिथि
1.	वन मण्डलाधिकारी दमोह	04/08 to 11/08	8	19.1.09
		12/08 to 03/09	4	18.05.09
2	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सागर	04/08 to 06/08	3	14.8.08
		7/08 to 09/08	3	17.12.08
3	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सागर	04/08 to 10/08	7	31.12.08
		11/08 to 03/09	5	27.05.09
4	वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) नौरादेही सागर	04/08 to 06/08	3	11.09.08
		7/08 to 09/08	3	22.12.08
5	वन संरक्षक सागर	04/08 to 9/08	6	17.12.08
6	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सागर	04/08 to 9/08	6	17.12.08
		10/08 to 01/09	4	25.03.09
7	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) सागर	04/08 to 11/08	8	23.1.09
8	वन संरक्षक वृत्त भोपाल	05/08 to 11/08	7	9.1.09
		12/08 to 02/09	3	11.05.09
9	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/08 to 7/08	4	15.10.08
10	संचालक वन विहार (राष्ट्रीय उद्यान) भोपाल	04/08 to 10/08	7	22.12.08
		11/08 to 3/09	5	21.05.09
11	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रायसेन	04/08 to 07/08	4	6.10.08
		08/08 to 12/08	5	12.02.09
12	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) रायसेन	04/08 to 09/08	6	15.12.08
13	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) रायसेन	04/08 to 12/08	9	12.2.09

14	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) औबेदुल्लागंज	04/08 to 09/08	6	5.12.08
		10/08 to 3/09	6	26.05.09
15	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) सीहोर	04/08 to 07/08	4	22.9.08
		08/08 to 11/08	4	11.12.08
		12/08 to 3/09	4	15.5.09
16	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सीहोर	04/08 to 07/08	4	22.9.08
		08/08 to 12/08	5	12.3.09
		1/09 to 3/09	3	26.5.09
17	वन मण्डलाधिकारी राजगढ़ ब्यावरा	04/08 to 07/08	4	24.9.08
		08/08 to 12/08	5	2.3.09
		1/09 to 3/09	3	26.5.09
18	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) भोपाल	04/08 to 09/08	6	22.12.08
		10/08 to 1/09	4	13.05.09
19	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) विदिशा	04/08 to 06/08	3	12.8.08
		09/08 to 3/09	7	27.5.09
20	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	04/08 to 06/08	3	04.8.08
		07/08 to 12/08	6	16.2.09
21	वन मण्डलाधिकारी रीवा	04/08 to 03/09	12	29.05.09
22	वन मण्डलाधिकारी सतना	04/08 to 09/08	6	12.12.08
		10/08 to 03/09	6	01.06.09
23	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सीधी	04/08 to 11/08	8	02.02.09
24	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सीधी	04/08 to 11/08	8	28.01.09
25	संचालक संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी	04/08 to 11/08	8	12.01.09
		12/08 to 03/09	4	26.05.09
26	वन संरक्षक रीवा	06/08 to 03/09	10	29.05.09
27	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) रीवा	04/08 to 01/09	10	26.03.09

28	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रीवा	04/08 to 03/09	12	29.05.09
29	वन मण्डलाधिकारी खरगोन	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	29.01.09 26.05.09
30	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) बड़वाहा	04/08 to 01/09	10	24.04.09
31	वन मण्डलाधिकारी बडवानी	04/08 to 09/08 12/08 to 03/09	6 4	11.12.08 18.05.09
32	वन मण्डलाधिकारी सेंधवा	04/08 to 12/08 1/09 to 03/09	9 3	17.2.09 28.5.09
33	वन मण्डलाधिकारी बुरहानपुर	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	13.01.09 03.06.09
34	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) खण्डवा	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	23.12.08 18.05.09
35	वन संरक्षक खण्डवा	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	15.1.09 28.05.09
36	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) खण्डवा	04/08 to 10/08 11/08 to 02/09	7 4	30.12.08 14.05.09
37	प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	12.01.09 25.05.09
38	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) भोपाल	04/08 to 06/08 07/08 to 10/08 11/08 to 01/09	3 4 3	27.08.08 13.01.09 08.04.08
39	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	19.01.09 29.05.09
40	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल	04/08 to 06/08 07/08 to 03/09	3 9	27.08.08 26.05.09
41	वन मण्डलाधिकारी (राजधानी परियोजना) भोपाल	04/08 to 06/08 07/08 to 12/08 01/09 to 03/09	3 6 3	05.08.08 26.02.09 27.05.09
42	संयुक्त, संचालक, म.प्र. वानिकी परियोजना भोपाल	04/08 to 03/09	12	1.06.09
43	मूल्यांकन अधिकारी (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	19.01.09 14.05.09
44	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/08 to 03/09	12	29.05.09

45	वन मण्डलाधिकारी धार	04/08 to 09/08 10/08 to 12/08 01/09 to 03/09	6 3 3	12.12..08 10.02.09 26.05.09
46	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) इन्दौर	04/08 to 03/09	12	28.05.09
47	मुख्य वन संरक्षक इन्दौर	04/08 to 09/08 10/08 to 03/09	6 6	12.12.08 09.06..09
48	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	04/08 to 07/08 08/08 to 03/09	4 8	20.10..08 28.05..09
49	वन मण्डलाधिकारी इन्दौर	04/08 to 07/08 10/08 to 03/09	4 6	10.09..08 19.05..09
50	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) इन्दौर	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	28.01..09 27.05..09
51	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	04/08 to 08/08 09/08 to 03/09	5 7	02.12..08 18.05..09
52	वन मण्डलाधिकारी झाबुआ क्षेत्रीय	05/08 to 10/08	6	23.12..08
53	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) झाबुआ	04/08 to 09/08 10/08 to 02/09	6 5	15.12..08 11.5..09
54	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) पन्ना	04/08 to 12/08 01/09 to 03/09	9 3	10.02..09 29.05..09
55	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) पन्ना	04/08 to 09/08 10/08 to 03/09	6 6	17.12..08 18.05..09
56	संचालक राष्ट्रीय उद्यान टाईगर पन्ना	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	29.12..08 27.05..09
57	वन संरक्षक छतरपुर	04/08 to 12/08 01/09 to 03/09	9 3	27.02..09 05.06..09
58	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छतरपुर	04/08 to 12/08	9	16.02.09
59	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) छतरपुर	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	04.02..09 28.05..09
60	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छतरपुर	04/08 to 03/09	12	28.05..09
61	वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़	04/08 to 09/08 10/08 to 03/09	6 6	12.12..08 28.05..09
62	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) देवास	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	26.12..08 26.05..09
63	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) देवास	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	16.01..09 28.05..09
64	वन संरक्षक उज्जैन	04/08 to 10/08	7	15.01..09

		01/09 to 03/09	3	19.05.09
65	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) उज्जैन	04/08 to 07/08 08/08 to 11/08 01/09 to 03/09	4 4 3	10.09.08 15.01.09 19.05.09
66	वन मण्डलाधिकारी रतलाम	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	03.02.09 05.06.09
67	वन मण्डलाधिकारी नीमच	05/08 to 09/08 10/08 to 03/09	5 6	18.12.08 27.05.09
68	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) शाजापुर	04/08 to 07/08 08/08 to 11/08 12/08 to 03/09	4 4 4	17.10.08 22.01.09 21.05.09
69	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) उज्जैन	04/08 to 09/08 10/08 to 12/08 01/09 to 03/09	6 3 3	11.12.08 10.02.09 29.05.09
70	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रतलाम	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	31.12.08 19.05.09
71	वन संरक्षक शहडोल	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	23.01.09 18.05.09
72	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	26.12.08 28.05.09
73	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शहडोल	04/08 to 12/08 01/09 to 03/09	9 3	27.02.09 18.05.09
74	वन मण्डलाधिकारी उमरिया	04/08 to 11/08	8	12.01.09
75	संचालक बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया	04/08 to 06/08	3	12.08.08
76	वन मण्डलाधिकारी मन्दसौर	04/08 to 09/08 10/08 to 03/09	6 6	23.12.08 25.05.09
77	संचालक वन विद्यालय अमर कंटक	04/08 to 12/08	9	18.02.09
78	वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर	04/08 to 09/08 10/08 to 12/08 01/09 to 03/09	6 3 3	19.12.08 11.02.09 27.05.09
79	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) शहडोल	04/08 to 09/08 10/08 to 12/08 01/09 to 03/09	6 3 3	19.12.08 11.02.09 18.05.09
80	वन संरक्षक शिवपुरी	04/08 to 11/08	8	30.01.09
81	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी	04/08 to 07/08 08/08 to 11/08 12/08 to 03/09	4 4 4	19.09.08 30.01.09 30.06.09
82	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) गुना	04/08 to 11/08	8	28.01.09
83	संचालक वन विद्यालय शिवपुरी	05/08 to 08/08 09/08 to 12/09	4 4	05.12.08 27.02.09

84	वन संरक्षक कार्य आयोजना शिवपुरी	10/08 to 12/08	3	20.02..09
85	संचालक माघव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	04/08 to 06/08 07/08 to 10/08 11/08 to 01/09	3 4 3	20.08..08 29.12..08 27.03.09
86	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) अशोक नगर	04/08 to 01/09	10	08.04..09
87	वन संरक्षक होशंगाबाद	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	29.01..09 28.05..09
88	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) होशंगाबाद	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	29.01..09 28.05..09
89	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) हरदा	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	28.01..09 19.05..09
90	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) हरदा	04/08 to 09/08 10/08 to 12/08 01/09 to 03/09	6 3 3	11.12..08 10.02..09 01.06.09
91	वन संरक्षक ( कार्य आयोजना) होशंगाबाद	04/08 to 11/08	8	29.01..09
92	उप संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व पचमढी	04/08 to 07/08 08/08 to 12/08	4 5	26.09..08 11.02..09
93	वन संरक्षक सिवनी वृत्त	04/08 to 12/08 01/09 to 03/09	9 3	11.12..08 03.06..09
94	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य सिवनी	04/08 to 07/08 08/08 to 10/08 11/08 to 03/09	4 3 5	03.10..08 09.01..09 11.06.09
95	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य सिवनी	04/08 to 01/09	10	10.02..09
96	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) उत्पादन सिवनी	04/08 to 09/08 10/08 to 03/09	6 6	22.12..08 25..05..09
98	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) उत्पादन सिवनी	04/08 to 09/08 10/08 to 03/09	6 6	22.12..08 25..05..09
99	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) खंडवा	04/08 to 12/08 01/09 to 03/09	9 3	25.03..09 03..06..09
100	वन संरक्षक कार्य आयोजना सिवनी	04/08 to 01/09	10	27.04..09
101	वन मण्डलाधिकारी नरसिंहपुर	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	23.01..09 01..06..09
102	उप वन संरक्षक पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी	04/08 to 08/08 09/08 to 12/08	5 4	18.11..08 12..02..09
103	उप वन संरक्षक पेंच टाईगर इको डबलमेन्ट सिवनी	04/08 to 12/08	9	12.02..09
104	संचालक राजीव गाँधी सहभागी प्रशिक्षण	04/08 to 10/08	7	09.01..09

	संस्थान लखनादौन			
105	वन संरक्षक बैतूल	04/08 to 07/08 08/08 to 11/08	4 4	29.09.08 20.01.09
106	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य बैतूल	04/08 to 11/08	8	02.02.09
107	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य बैतूल	05/08 to 03/09	11	19.05.09
108	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य बैतूल	05/08 to 12/08 01/09 to 03/09	8 3	12.03.09 23.06.09
109	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) बैतूल	04/08 to 12/08	9	27.02.09
110	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) बैतूल	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	14.01.09 29.05.09
111	वन संरक्षक कार्य आयोजना बैतूल	04/08 to 07/08 08/08 to 11/08 12/08 to 03/09	4 4 4	23.09.08 20.01.09 29.05.09
112	संचालक वन विद्यालय बैतूल	04/08 to 12/08	9	03.02.09
113	वन संरक्षक बालाघाट	04/08 to 12/08 01/09 to 03/09	9 3	26.02.09 29.05.09
114	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य बालाघाट	04/08 to 12/08 01/09 to 03/09	9 3	26.02.09 29.05.09
115	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) बालाघाट	04/08 to 09/08	6	22.12.08
116	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) उत्पादन बालाघाट	05/08 to 07/08 08/08 to 11/08 12/08 to 03/09	3 4 4	13.10.08 23.01.09 21.05.09
117	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) उत्पादन बालाघाट	04/08 to 07/08 08/08 to 11/08 12/08 to 03/09	4 4 4	23.09.08 13.01.09 22.05.09
118	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) उत्पादन बालाघाट	04/08 to 07/08 08/08 to 12/08 01/09 to 03/09	4 5 3	14.10.08 17.02.09 25.05.09
119	वन संरक्षक कार्य आयोजना बालाघाट (मुख्यालय जबलपुर)	04/08 to 12/08	9	03.03.09
120	प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	13.01.09 29.05.09
121	वन संरक्षक छिन्दवाड़ा	04/08 to 07/08 8/08 to 11/08 12/08 to 03/09	4 4 4	16.10.08 19.01.09 22.05.09
122	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सामान्य छिन्दवाड़ा	04/08 to 11/08	8	19.01.09
123	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य छिन्दवाड़ा	04/08 to 09/08 10/08 to 01/09	6 4	24.12.08 23.03.09

124	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य छिन्दवाड़ा	05/08 to 10/08 11/08 to 03/09	6 5	13.01..09 22..06..09
125	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) उत्पादन छिन्दवाड़ा	04/08 to 07/08 08/08 to 12/08	4 5	18.07..08 03..02..09
126	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छिन्दवाड़ा	04/08 to 09/08 10/08 to 01/09	6 4	24.12..08 23..03..09
127	वन संरक्षक कार्य आयोजना छिन्दवाड़ा	04/08 to 07/08	4	16.10..09
128	वन संरक्षक जबलपुर	04/08 to 03/09	12	25.05..09
129	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) जबलपुर	04/08 to 07/08	4	17.09..08
130	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) जबलपुर	04/08 to 09/08	6	22.12..08
131	वन मण्डलाधिकारी सामान्य कटनी	04/08 to 12/08	9	26.02..09
132	वन संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर	04/08 to 11/08 12/08 to 03/09	8 4	29.01..09 18..06..09
133	मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर	04/08 to 03/09	12	05.06..09
134	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य मण्डला	04/08 to 03/09	12	25.05..09
135	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सामान्य मण्डला	04/08 to 03/09	12	29.05..09
136	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) डिण्डोरी	04/08 to 07/08	4	13.10..08
137	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	04/08 to 07/08 08/08 to 01/09	4 6	17.09..08 27..02..09
138	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) मण्डला	04/08 to 07/08 09/08 to 01/09	4 5	11.09..08 15..04..09
139	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) डिण्डोरी	05/08 to 07/08 08/08 to 03/09	3 8	13.10..08 28..05..09
140	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व वफर जोन मण्डला	04/08 to 01/09	10	26.03..09
141	वन संरक्षक ग्वालियर	04/08 to 07/08 8/08 to 12/08 01/09 to 03/09	4 5 3	10.09..08 17..02..09 27.05.09
142	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) ग्वालियर	04/08 to 08/08 09/08 to 01/09	5 5	23.12..08 21..04..09
143	वन संरक्षक (अनुसंधान/ विस्तार) ग्वालियर	04/08 to 09/08 10/08 to 03/09	6 6	26.12..08 03..06..09
144	वन संरक्षक कार्य आयोजना ग्वालियर	04/08 to 07/08 08/08 to 01/09	4 6	26.09..08 08..04..09

145	वन मण्डलाधिकारी भिण्ड	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	05.01..09 10..06..09
146	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सिंह परियोजना ग्वालियर	04/08 to 07/08 8/08 to 12/08 01/09 to 03/09	4 5 3	16.12..08 05..03..09 22.05.09
147	वन मण्डलाधिकारी सामान्य दतिया	04/08 to 01/09	10	17.01..09
148	वन मण्डलाधिकारी श्योपुरकलॉ सामान्य	04/08 to 08/08 09/08 to 03/09	5 7	10.11..08 25..05..09
149	वन मण्डलाधिकारी कूनो वन्यप्राणी श्योपुर	04/08 to 12/08 01/09 to 03/09	9 3	27.02..09 12..06..09
150	वन मण्डलाधिकारी मुरैना	04/08 to 07/08 08/08 to 10/08 11/08 to 01/09	4 3 3	26.08..08 12..12..08 19.01.09
151	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) खंडवा	04/08 to 10/08 11/08 to 03/09	7 5	15.01..09 18..05..09



	,ää¼ääñ•ä¶ää ÖñlääØää°ääª		
16-	„ä ÖääþääËäþäS Öä ä¹äijä ›äfØää ääÄ·ä äÄ¹ääþä¹/²ääæ	1/09 Öñ 3/09	3 ½ääÖ
17-	lä¶ä ÖääÄääþäS ää lä¹ä Äæ	12/08 Öñ 3/09	4 ½ääÖ
18-	lä¶ä¹/²ä¥jËääää£äþäSäÄæ (Öää¹/²ää¶¼ä) ,ä ääñþäS ¶äØääÄ	2/09 Öñ 3/09	2 ½ääÖ
19-	lä¶ä ÖääÄääþäS °äö äiËä	12/08 Öñ 3/09	4 ½ääÖ
20-	lä¶ä¹/²ä¥jËääää£äþäSäÄæ „  äÄ (Öää¹/²ää¶¼ä) °äö äiËä	12/08 Öñ 3/09	4 ½ääÖ
21-	ÖääþääËäþäS lä¶ä ää ä¹ääËä¼ä °äö äiËä	1/09 Öñ 3/09	3 ½ääÖ
22-	lä¶ä¹/²ä¥jËääää£äþäSäÄæ¹äää þä¹/²ä („¹ää¶ä) ääæ¶ä ääjä	1/09 Öñ 3/09	3 ½ääÖ
23-	lä¶ä ÖääÄääþäS þäSä¼äÄ ,ää¼ääñ•ä¶ää ääæ¶ä ääjä	1/09 Öñ 3/09	3 ½ääÖ
24-	lä¶ä¹/²ä¥jËääää£äþäSäÄæ (Öää¹/²ää¶¼ä)ØlääääËä¼äÄ	2/09 Öñ 3/09	2 ½ääÖ
25-	lä¶ä ÖääÄääþäS (.ä¶äiÖää£ää¶ä þlää ää äÖ ääÄ) þñS¶³·ä°äËä¹äiÄ	10/08 Öñ 3/09	6 ½ääÖ
26-	lä¶ä¹/²ä¥jËääää£äþäSäÄæ (Öää¹/²ää¶¼ä)·ä°äËä¹äiÄ	8/08 Öñ 3/09	8 ½ääÖ
27-	lä¶ä¹/²ä¥jËääää£äþäSäÄæ (Öää¹/²ää¶¼ä) ää¥jäöÄæ	8/08 Öñ 3/09	8 ½ääÖ

dk;kZy; egkys[kkdkj ¼ys[kk ,oa gdnkj½&izFke e-iz-

Xokfy;j

ifj'k"V ^?k^

¼d`lk;k df.Mdk 1-5-2 ns[ksa½

lek/kku i=d Hkstus okys ou dk;kZy;ksa dk fooj.k i=d

I-Ø-	vkgj.k vf/kdkjh dk uke
1.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बैतूल
2.	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन) बैतूल
3.	वन संरक्षक वृत्त छिन्दवाड़ा
4.	वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) बुरहानपुर
5.	वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) डिण्डोरी
6.	वन मण्डल अधिकारी (उत्पादन) डिण्डोरी
7.	वन मण्डल अधिकारी (उत्पादन) हरदा
8.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) होशंगाबाद
9.	वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) खंडवा
10.	वन मण्डल अधिकारी (उत्पादन) खंडवा
11.	वन संरक्षक खंडवा
12.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) खंडवा
13.	उप संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला
14.	वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) पश्चिम मंडला
15.	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सिंह परियोजना ग्वालियर
16.	वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) नीमच
17.	वन संरक्षक वृत्त सागर

18.	वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) सीहोर
19.	वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) उत्तर सिवनी
20.	वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) दक्षिण सिवनी
21.	वन मण्डल अधिकारी (उत्पादन) उत्तर सिवनी
22.	वन मण्डल अधिकारी (उत्पादन) दक्षिण सिवनी
23.	वन मण्डल अधिकारी उत्तर शहडोल
24.	वन मण्डल अधिकारी कूनो वन्य प्राणी श्योपुर
25.	उप संचालक म.प्र. वानिकी परियोजना भोपाल

dk;kZy; egkys[kkdkj ¼ys[kk ,oa gdnkj½&izFke e-iz-

Xokfy;j

ifj'k"V ^3^

¼d`lk;k df.Mdk 1-7 ns[ksa½

वर्ष 2008–09 में विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज राशि का शासकीय लेखे में समायोजन करेण हेतु विवरण भेजने वाले वन कार्यालयों की सूची।


I-Ø-	vkgj.k vf/kdkjh dk uke	fo-Hk-fu-dh C;kt jkf'k
1.	वन मंडल अधिकारी उत्तर पन्ना	45201.00
2.	वन मंडल अधिकारी दक्षिण पन्ना	—
3.	क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना	333560.00
4.	वन संरक्षक रीवा	27881.00
5.	वन मंडल अधिकारी सामान्य रीवा	—
6.	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा	—
7.	वन संरक्षक कार्य आयोजना रीवा	—
8.	वन मण्डल अधिकारी सीधी	636850.00
9.	वन मण्डल अधिकारी पश्चिम सीधी	—
10.	क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी	—
11.	वन मंडल अधिकारी, उमरिया	484934.00
12.	वन मंडल अधिकारी दक्षिण शहडोल	982570.00
13.	वन मंडल अधिकारी, उत्तर शहडोल	—
14.	वन संरक्षक शहडोल	—
15.	वन मंडल अधिकारी दक्षिण उत्पादन बालाघाट	7089935.00

16.	वन संरक्षक बालाघाट	—
17.	वन संरक्षक वृत्त खंडवा	—
18.	वन संरक्षक कार्य आयोजना खंडवा	57033.00
19.	वन मंडल अधिकारी उत्पादन वन मंडल खण्डवा	—
20.	वन मंडल अधिकारी उत्तर सामान्य वन मण्डल बैतूल	1591281.00
21.	वन मंडल अधिकारी उत्तर उत्पादन वन मण्डल बैतूल	—
22.	वन संरक्षक वृत्त बैतूल	1633385.00
23.	वन मंडल अधिकारी दक्षिण सामान्य बैतूल	—
24.	अपर प्रधान वन संरक्षक कार्य आयोजना इंदौर	301329.00
25.	मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना इन्दौर	—
26.	मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी पश्चिम नवरतन बाग इंदौर	—
27.	वन मंडल अधिकारी नरसिंहपुर	7197045.00
28.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी) भोपाल	2763180.00
29.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन (समन्वय कक्ष) भोपाल	—
30.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन, म.प्र.भोपाल	36752.00
31.	वन मंडल अधिकारी धार	48624.00
32.	वन संरक्षक सिवनी	36856.00
33.	वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल बुरहानपुर	24907.00
34.	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त होशंगाबाद	68231.00

35.	वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल होशंगाबाद	1300206.00
36.	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाबुआ	17926.00
37.	वन मंडल झाबुआ	—
38.	वन मंडल अधिकारी पश्चिम (सामान्य) छिंदवाड़ा	31585.00
39.	वन संरक्षक छिंदवाड़ा	145173.00
40.	वन मंडल अधिकारी नीमच (सामान्य)	22764.00
41.	वन मंडल अधिकारी डिंडोरी (उत्पादन वन मंडल)	70064.00
42.	वन मंडल अधिकारी क्षेत्रीय वन मंडल राजगढ़	33034.00
43.	वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल कटनी	54712.00
44.	वन संरक्षक वृत्त शिवपुरी	36895.00
45.	वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल खरगोन	71899.00
46.	वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल मंदसौर	288010.00
	<b>कुल योग</b>	<b>19050822.00</b>

**VkbZi dkWih**





dk;kZy; egkys[kkdkj ¼ys[kk ,oa gdnkj½&izFke  
e/; izns'k] Xokfy;j  
ifj'k"V ^N^N^N  
 ¼d`i;k dafMdk 1-12 ns[ksa½

o"kZ 2008&09 esa eq[; 'kh"kZ 0406&01&800&^^0237& {kfriwfrZ o`{kkjksi.k^^ ds vUrxZr ou e.Myokj izklr jkf'k;ksa dk fooj.kA

I-dz-	ou e.My dk uke	jkf'k :i;s
01	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम (सामान्य) छिन्दवाडा	28242
02	वन मण्डलाधिकारी दमोह	54054
03	उप संचालक सतपुडा टाईगर पंचमडी	494
04	वन मण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) डिन्डोरी	300
05	वन मण्डलाधिकारी पूर्व (सामान्य) खरगौन	1363
06	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) बडवानी	57709
07.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (उत्पादन) सेन्धवा	41290
08.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) खण्डवा	1027730
09	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) पूर्व मण्डला	3580
10	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक एवं वानिकी) उज्जैन	143
11	वन मण्डलाधिकारी पूर्व (सामान्य) सतना	11000
12	वन मण्डलाधिकारी पूर्व (टैहरी) उत्तर, सिवनी	3163

13	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) दक्षिण सिवनी	48107
14	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य), उमरिया	812527
15	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सीधी	4959832
16	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) इन्दौर	56502
	योग:-	7106037

**dk;kZy; egkys[kkdkj ¼ys[kk ,oa gdnkj½ izFke] e/; izns'k]  
Xokfy;j  
ifjf'k"V ^t^t^t  
¼d`i;k dafMdk 2-1-1 ns[ksa½**

वन मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों  
के प्रथम उत्तर प्राप्त न होने संबंधी विवरण वर्ष 2008-09

क्र.	इकाई का नाम	ले.प.अवधि	नि.प्र.जारी होने का दिनांक	प्रथम उत्तर प्राप्ति का दिनांक	नियत दिनांक
1.	व.मं.अ.(सा.) उत्तर बैतूल	03/08 से 01/09	<u>635.639</u> 20 <sup>03</sup> 09	अप्राप्त	05 <sup>05</sup> 09
2.	वन मण्डल अधिकारी बैतूल	09/07 से 12/08	<u>631.634</u> 17 <sup>03</sup> 09	अप्राप्त	02 <sup>05</sup> 09
3.	वन मण्डल अधिकारी (सा.) अनूपपुर	10/06 से 01/09	<u>685.687</u> 31 <sup>03</sup> 09	अप्राप्त	15 <sup>05</sup> 09
4.	वन मण्डल अधिकारी (सा.) नरसिंहपुर	01/08 से 01/09	<u>661.665</u> 25 <sup>03</sup> 09	अप्राप्त	10 <sup>05</sup> 09
5.	वन संरक्षक बैतूल	08/04 से 01/09	<u>629.630</u> 17 <sup>03</sup> 09	अप्राप्त	02 <sup>05</sup> 09
6.	मुख्य वन संरक्षक जबलपुर	09/02 से 12/08	<u>607.608</u> 26 <sup>02</sup> 09	अप्राप्त	13 <sup>04</sup> 09
7.	व.मं.अ.(सा.) डिण्डोरी	01/08 से 11/08	<u>602.603</u> 20 <sup>02</sup> 09	अप्राप्त	07 <sup>04</sup> 09
8.	वन मंडल अधिकारी (सा.) बड़वानी	12/07 से 11/08	<u>582.585</u> 02 <sup>02</sup> 09	अप्राप्त	19 <sup>03</sup> 09
9.	वन मण्डल अधिकारी (सा.) उत्तर शहडोल	12/07 से 01/09	<u>626.628</u> 16 <sup>03</sup> 09	अप्राप्त	01 <sup>05</sup> 09
10.	वन संरक्षक छिन्दवाड़ा	08/02 से 12/08	<u>618.619</u> 06 <sup>03</sup> 09	अप्राप्त	20 <sup>04</sup> 09
11.	क्षेत्र संचालक पेंच (रा.उ.) सिवनी	12/07 से 11/08	<u>579.580</u> 30 <sup>01</sup> 09	अप्राप्त	15 <sup>03</sup> 09
12.	क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद	05/07 से 10/08	<u>553.555</u> 09 <sup>01</sup> 09	अप्राप्त	22 <sup>02</sup> 09
13.	वन मण्डल अधिकारी (सा.) पश्चिम सीधी	07/07 से 11/08	<u>574.576</u> 30 <sup>01</sup> 09	अप्राप्त	15 <sup>03</sup> 09
14.	वन मण्डल अधिकारी (सा.) दमोह	04/07 से 10/08	<u>549.551</u> 07 <sup>01</sup> 09	अप्राप्त	20 <sup>02</sup> 09
15.	क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ (रा.उ.) उमरिया	03/07 से 08/08	<u>444.446</u> 11 <sup>11</sup> 08	अप्राप्त	26 <sup>12</sup> 08

**कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर**  
**परिशिष्ट "झ"**  
**(कृपया कंडिका 2.1.1 देखें)**  
**(वर्ष 2008-09 के अंत में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की संख्या)**

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या	राशि रूपये (लाख में)
नचजव 1990.91	41	111	207 <sup>१</sup> 17
1991.92	7	10	38 <sup>१</sup> 59
1992.93	11	14	99 <sup>१</sup> 22
1993.94	21	19	493 <sup>१</sup> 34
1994.95	30	58	323 <sup>१</sup> 73
1995.96	23	48	220 <sup>१</sup> 28
1996.97	16	24	118 <sup>१</sup> 07
1997.98	35	86	13824 <sup>१</sup> 10
1998.99	18	36	2889 <sup>१</sup> 39
1999.2000	18	32	1176 <sup>१</sup> 72
2000.01	40	70	1150 <sup>१</sup> 39
2001.02	35	91	3793 <sup>१</sup> 61
2002.03	49	108	5746 <sup>१</sup> 03
2003.04	24	41	1201 <sup>१</sup> 27
2004.05	29	55	2779 <sup>१</sup> 01
2005.06	25	36	1360 <sup>१</sup> 96
2006.07	35	86	4611 <sup>१</sup> 68
2007.08	61	148	5591 <sup>१</sup> 30
2008.09	41	107	4703 <sup>१</sup> 15
<b>जज  र</b>	<b>559</b>	<b>1180</b>	<b>50321<sup>१</sup>01</b>
<b>ळळळळळ ठ  र  छळ</b>	<b>599</b>	<b>1317</b>	<b>54733<sup>१</sup>55</b>
<b> क्क्क्क्क् 09६2008</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>550<sup>१</sup>91</b>
<b>ळळ  छळ 03६2009</b>	<b>45</b>	<b>148</b>	<b>4963<sup>१</sup>15</b>
<b>ळळळळळ ठ  र  छळ</b>	<b>559</b>	<b>1180</b>	<b>50321<sup>१</sup>01</b>

**कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर**  
**परिशिष्ट 'अ'**  
**(कृपया कंडिका 2.13 देखें)**

वर्ष 2008-09 के अंत तक लंबित हानि प्रकरणों का विवरण पत्रक

वर्ष	राशि	संख्या	समायोजित राशि	संख्या	शेष राशि	संख्या
1975-76	1775599	110	7133	1	1768466	109
1977-78	170612	18	1532	1	169080	17
1978-79	487268	35	823	1	486445	34
1979-80	451210	30	.	.	451210	30
1980-81	498659	43	.	.	498659	43
1981-82	344963	49	.	.	344963	49
1982-83	371076	29	.	.	371076	29
1983-84	837159	10	-	-	837159	10
1984-85	144140	5	-	-	144140	5
1985-86	43408	1	-	-	43408	1
1987-88	3830545	109	-	-	3830545	109
1988-89	3499627	200	2902	1	4496725	199
1989-90	1828539	244	-	-	1828539	244
1990-91	3299305	107	90769	1	2208536	106
1991-92	2081232	87	29113	3	2052119	84
1992-93	5293257	101	14072	3	5279185	98
1993-94	4255805	86	60173	1	4195632	85
1994-95	2032239	56	-	-	2032239	56
1995-96	3089510	71	14716	1	3074794	70
1996-97	3306359	88	76310	2	3230049	86
1997-98	4467556	129	-	-	4467556	129
1998-99	27807968	121	40411	2	27767557	119
1999-2000	7330984	95	16768	1	7314216	94
2000-01	4278430	87	120317	2	4158113	85
2001-02	2074657	44	-	-	2074657	44
2002-03	6995231	44	-	-	6995231	44
2003-04	4614167	16	-	-	4614167	16
2004-05	2292709	20	4124	2	2288585	18
2005-06	7182709	51	-	-	7182709	51
2006-07	8729084	54	22091	5	8706993	49
2007-08	2649886	34	71645	8	2578241	26
2008-09	970444	45	315778	14	654666	31
		2219		49		2170

**dk;kZy; egkys[kkdkj ¼ys[kk ,oa gdnkj½ izFke] e/; izns'k]  
Xokfy;j  
ifjf'k"V ^^^V^^  
¼d`i;k dafMdk 2-2-1 ns[ksa½**

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं का वर्षवार विवरण

अवधि	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं	राशि (लाखों में)
1976-77	1	1	16.46
1979-80	3	4	16.10
1982-83	2	3	8.63
1983-84	2	4	11.23
1984-85	2	2	10.42
1985-86	5	10	18.68
1986-87	3	6	45.02
1987-89	19	31	352.54
1989-90	5	8	98.39
1990-91	9	9	68.70
1991-92	10	18	79.48
1992-93	8	15	229.45
1993-94	8	11	237.05
1994-95	21	37	469.55
1995-96	22	54	634.43
1996-97	19	26	280.40
1997-98	19	50	1101.67
1998-99	12	23	394.10
1999-2000	9	17	1617.75
2000-01	21	58	5791.62
2001-02	29	54	3854.82
2002-03	39	64	5634.00
2003-04	27	58	2434.57
2004-05	11	27	3936.83
2005-06	25	53	19947.82
2006-07	40	80	4163.46
2007-08	45	87	14435.47
2008-09	23	39	1174.27
	<b>439</b>	<b>849</b>	<b>67062.61</b>